


दिनांक	आज्ञा पत्र	
8/12/20	पत्रावली पेश / वरीष्ठ उक्त 448 35.1 का पेश द्वितीय कालांतर प्रति 11 वरुं 29.1.20 को पेश हो	
29/12/20	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 29.1.20 को पेश हो।	
29.1.26	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 24.2.26 को पेश हो।	
24.2.26	<p>पत्रावली पेश। कौशल अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हदायत दी गई थी। 19 आवामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पॉण्डेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश कए इन्काम आवामी तिथि पर आदेश 9 निवम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जावेगी। आब दिनांक तक अपीलान्त ने रेस्पॉण्डेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये सके हैं इतना स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति बन्धी नहीं है। कलकत्ता अपील अपीलान्त आदेश 9 निवम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जावी है। निर्णय तसे इजलास सुनाया गया। पत्रावली कौशल कुमार होकर उक्त काम होकर सब नतीज तामील दाखिल टकाल हो।</p>	<p>12/3 अनिल कुमार II RAS भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प बुन्दुन)</p>